थर्मोकोल पर प्रतबिंध

चर्चा में क्यों?

9 फरवरी, 2022 को झारखंड प्रदूषण नयिंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ए.के. रस्तोगी ने बताया कि प्रदेश में 1 जुलाई, 2022 से थर्मोकोल और प्लास्टकि से जुड़े सामान प्रतबिंधति रहेंगे।

प्रमुख बदिु

- रस्तोगी ने बताया कि बोर्ड इसके लयि पहले ही नरि्देश दे चुका है, ऐसे में इन नयिमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
- थर्मोकोल का वैज्ञानकि नाम **Polystyrene** है, पॉलीस्टाइरीन एक सथिेटकि सुगंधति हाइड्रोकार्बन बहुलक है, जसि स्टाइरीन मोनोमर से बनाया जाता है।
- यह एक प्रकार का प्लास्टकि है, जसिको फूड पैकेजगि, फोम की प्लेट्स, गलिास आदि के नरि्माण में उपयोग कयिा जाता है।
- थर्मोप्लास्टकि बहुलक के रूप में, पॉलीस्टाइरीन कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होता है, लेकनि लगभग 100 डग्िरी सेल्सयिस से ऊपर गरम होने पर तरल में परविर्तति हो जाता है।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा अधसिूचति प्लास्टकि कचरा प्रबंधन संशोधन नयिम, 2021 के अनुसार पॉलीस्टाइरीन और वसि्तारति पॉलीस्टाइरीन सहति एकल-उपयोग वाले प्लास्टकि का नरि्माण, आयात, स्टॉकगि, वतिरण, बकि्री और उपयोग 1 जुलाई, 2022 से प्रतबिंधति होगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/thermocol-ban